भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 4329

उत्तर देने की तारीख-19/08/2025

दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना

4329. श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिव्यांगजनों के कौशल विकास हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी-एसडीपी) का ब्यौरा क्या है और इसके उद्देश्य और प्रमुख घटक क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए हैं और यदि हां, तो तमिलनाडु सहित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) एनएपी-एसडीपी योजना के अंतर्गत व्यावसायिक प्रशिक्षण पूरा करने के बाद दिव्यांगजनों को सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में रोजगार सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या उक्त योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित दिव्यांगजनों को रोजगार देने में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए कोई विशेष प्रोत्साहन या कार्यक्रम हैं, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) और (ख) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी-एसडीपी) का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसका उद्देश्य दिव्यांगजनों के कौशल को बढ़ाना, उन्हें लाभकारी रोजगार पाने में सक्षम बनाना तथा उन्हें आत्मनिर्भर, उत्पादक और समाज में योगदान देने वाला सदस्य बनाना है। एनएपी-एसडीपी के अंतर्गत, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा अधिसूचित और समय-समय पर संशोधित कौशल विकास योजनाओं के लिए सामान्य मानदंडों के अनुसार वित्त पोषण सहित, देश भर में विभिन्न सरकारी और गैर-

सरकारी संगठनों के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। 15-59 वर्ष के आयु वर्ग के कम से कम 40% दिव्यांगता वाले दिव्यांगजन प्रशिक्षण प्राप्त करने के पात्र हैं।

(ग) और (घ) पीएम-दक्ष-डीईपीडब्ल्यूडी पोर्टल, जिसके माध्यम से एनएपी-एसडीपी को कार्यान्वित किया जा रहा है, में एक समर्पित मॉड्यूल 'दिव्यांगजन रोजगार सेतु' है, जो दिव्यांगजनों और दिव्यांगजनों को नियुक्त करने वाली विभिन्न कंपनियों के बीच एक सेतु का काम करता है। यह मंच सभी पंजीकृत दिव्यांगजनों को देश भर में भागीदार निजी कंपनियों में उपलब्ध रोजगार/आय के अवसरों के बारे में जियो-टैग्ड जानकारी प्रदान करता है, जिससे दिव्यांगजनों को रोजगार प्राप्त करने में सहायता मिलती है।

*****